न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ठासीन अधिकारी :– बंशीधर योगी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 414 / 2023 प्रार्थनापत्र

01. ग्रेसियो ग्रेनाइटस एलएलपी एच एक सौ दो आर्केड फोर्थ फ्लोर व्हाइट फील्ड रोड़ आरबीएच कॉलोनी, महादेवपुरा बैगलूरू कर्नाटका जरिये भागीदार श्रीमती निर्मला पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह सौलकी आयु 52 वर्ष निवासी– एच–002 गोल्डन स्टार अपार्टमेन्ट महादेवपुरा , बैंगलोर कर्नाटका जरिये पांवर ऑफ एटोर्नी होल्डर भगवान सिंह चौहान पुत्र श्री पन्ना सिंह आयु वयस्क निवासी– सेलमा , बाली जिला राजसमन्द (राज0) 305921

––– प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स ए.एम.जी रोक माइनिंग प्रा0लि0, कार्तिक सोसायटी मेनारिया गेस्ट हाऊस के सामने टेकरी रोड़, उदयपुर जरिये डायरेक्टर हर्ष कुमार जिन्दल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जिन्दल (अग्रवाल) जाति महाजन निवासी– 16 कार्तिक सोसायटी, मेनारिया गेस्ट हाऊस के सामने, टेकरी रोड़, उदयपुर (राज0)
2. अर्जुन सिंह पुत्र श्री सेसु सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– मोडा काकर , भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
3. कल्याण सिंह पुत्र श्री सेसु सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– मोडा काकर , भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
4. केली पुत्री श्री सेसु सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– मोडा काकर , भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
5. किसनी पत्नी श्री सेसु सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– मोडा काकर , भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
6. गीता पुत्री श्री सेसु सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– मोडा काकर , भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
7. चिमन सिंह पुत्र श्री सेसु सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– मोडा काकर , भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
8. मोहनी पुत्री सेसु सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– मोडा काकर , भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
9. सुजान सिंह पुत्र सेसु सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– मोडा काकर , भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन —–अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मनोहर लाल सैन —–अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01
3. एकपक्षीय —–विपक्षी संख्या 02 लगायत 10

:: निर्णय :: दिनांक–03.09.2024

प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा–251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 272 रकबा 0.3162 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 लगायत 09 के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि गोमा का बाडिया डामरीकरण सड़क से होकर प्रार्थी की आराजी नम्बर 4541/274 से होकर बिलानाम आराजी नम्बर 4591/274 एवं विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 4202/163 एवं 163 से होकर जाता है, उक्त रास्ता 30 फीट चौडाई के रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षी संख्या 01 (एक) उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने एवं विपक्षी संख्या–01 स्वयं को आने–जाने हेतु प्रार्थी के आराजियात 4541/274 में रास्ता दिये जाने एवं सहमत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से आपत्ति नहीं है। आराजी नम्बर 4202/163 एवं 163 से 30 फीट चौडाई मे रास्ता दर्ज कर दिये जाने पर विपक्षी संख्या 01 जवाबदाता को कोई आपत्ति नही है, लेकिन विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 4202/163 एवं 163 मे आने जाने हेतु प्रार्थी की आराजी नम्बर 4541/274 मे 30 फीट रास्ता प्रार्थी देने पर सहमत हैं। साथ ही प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 4541/274 मे 30 फीट सरकारी रास्ता दर्ज कराने व विपक्षी संख्या 01 से प्रतिकर राशि प्राप्त नही करना चाहता है तो विपक्षी संख्या 01 प्रार्थी से अपनी भूमि आराजी नम्बर 163, 4202/163 मे रास्ते के प्रतिफल की मांग नही करता है। प्रार्थी आराजी नम्बर 4541/274 मे विद्यमान रास्ते के प्रतिफल राशि नहीं प्राप्त करना चाहता है व विपक्षी संख्या 01 भी अपनी आराजी नम्बर 163, 4202/163 मे जाने वाली रास्ते की भूमि का प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं करना चाहता है। प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर करेड़ा

वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार करांई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 लगायत 09 के नाम पर सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 272 रकबा 0.3162 हैक्टयर दर्ज रेकार्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आराजी पर आने जाने हेतु आराजी 163, 4202/163, 4591/274, 4541/274 मे 30 फीट चौड़ा रास्ता क्रमशः 0.0503 हैक्टयर, 0.0149 हैक्टयर, आराजी नम्बर 0.0559 हैक्टयर, आराजी नम्बर 0.0746 हैक्टयर काम मे आयेगी, जिसमे से आराजी नम्बर 163, 4202/163 विपक्षी संख्या 01 की व आराजी नम्बर 4591/274 बिलानाम भूमि है व आराजी नम्बर 4541/274 प्रार्थी की सहखातोदारी भूमि है, विपक्षी संख्या 01 जो कि कोई प्रतिफल राशि प्राप्त नही करना चाहता है व साथ ही प्रार्थी द्वारा भी विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 163, 4202/163 मे आने जाने हेतु प्रार्थी की आराजी नम्बर 4541/274 मे 30 फीट चौडाई मे रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति नही की है व सरकारी बिलानाम भूमि मे दर्ज होने वाले रास्ते की भूमि का प्रार्थी बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थी की सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 272 रकबा 0.3162 हैक्टयर मे आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी 163, 4202/163, 4591/274, 4541/274 मे 30 फीट चौड़ा रास्ता क्रमशः 0.0503 हैक्टयर, 0.0149 हैक्टयर, आराजी नम्बर 0.0559 हैक्टयर, आराजी नम्बर 0.0746 हैक्टयर भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना व साथ ही विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 163, 4202/163 मे आने जाने हेतु प्रार्थी की आराजी नम्बर 4541/274 मे से 30 फीट चौड़ाई मे रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर एवं विपक्षी संख्या 01 की सहमति से प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी 163, 4202/163, 4591/274, 4541/274 मे 30 फीट चौड़ाई का रास्ता क्रमशः 0.0503 हैक्टयर, 0.0149 हैक्टयर, आराजी

नम्बर 0.0559 हैक्टयर, आराजी नम्बर 0.0746 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की आराजी नम्बर 272 मे आने जाने हेतु एवं प्रार्थी की आराजी नम्बर 4541/274 मे से 30 फीट चौडाई मे विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 163, 4202/163 मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे भी रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय प्रस्तावित रास्ता राजस्व नक्शा सहित इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली भूमि मे बिलानाम आराजी नम्बर 4591/274 रकबा 0.8065 हैक्टयर में से रकबा–0.0149 हैक्टयर भूमि जो रास्ते में दर्ज की जानी हैं भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर राजकोष मे बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जावे व विपक्षी संख्या 01 की आराजी मे रास्ते की दर्ज होने वाली भूमि एवं प्रार्थी की भूमि मे रास्ते की दर्ज होने वाली भूमि की एक दूसरे से प्रतिकर राशि की मांग नही करेगे।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(वंशीधर योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)